रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2003/माघ 30, 1924
No. 169] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2003/MAGHA 30, 1924

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 19 फरवरी, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 203(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शंक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमा को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में, विनियम 27 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक तथा स्पष्टीकरण परिवर्धित किये जायेंगे, अर्थात् :-

" परंतु यह कि साख निर्धारण एजेंसी, उप-विनियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन, इसके अथवा रेटिंग समिति के साझे स्वतंत्र निदेशक वाले इसके सहयुक्त द्वारा निर्गमित प्रतिभूति की रेटिंग कर सकेगी यदि, -

(i) ऐसा स्वतंत्र निदेशक रेटिंग विनिश्चयों संबंधी चर्चा में भाग नहीं लेता है, और

(ii) साख निर्धारण एजेंसी इसके बोर्ड में या इसकी रेटिंग समिति के ऐसे सहयुक्त की रेटिंग घोषणा में (साझे स्वतंत्र निदेशक की विद्यमानता के बारे में) प्रकटीकरण करती है और कि साझे स्वतंत्र निदेशक ने रेटिंग प्रक्रिया में या इसके निदेशक बोर्ड की बैठक में या रेटिंग समिति की बैठक में भाग नहीं लिया, जब ऐसे सहयुक्त की प्रतिभूतियों की रेटिंग पर चर्चा हुई थी ।

स्पष्टीकरण :- (1) इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए पद "स्वतंत्र निदेशक" से वह निदेशक अभिप्रेत है जो, निदेशक के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा, कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके प्रबंधन या इसकी समनुषंगियों के साथ कोई अन्य तात्विक धनीय संबंध अथवा संव्यवहार नहीं रखता है, जो कंपनी के बोर्ड की विवेकबुद्धि में, ऐसे निदेशक की विवेकबुद्धि की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हों।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/3805/2003]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

मूल विनियम, भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7 जुलाई 1999 की का.आ. सं.547(अ) के अधीन जारी हुए थे ।

भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात् -

(क) 28 मार्च 2000 को का.आ. सं. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा

(ख) 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001 का.आ. सं.476(अ) द्वारा

(ग) 27 सितंबर 2002 को भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का.आ. सं.1045(अ) द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th February, 2003

Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003)

S.O. 203(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely:-

1.(i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, in regulation 27, after sub-regulation (2), the following proviso and Explanation shall be added, namely:-

"Provided that the Credit Rating Agency may, subject to the provisions of sub-regulation (1), rate a security issued by its associate having a common independent director with it or rating committee if, -

(i) such an independent director does not participate in the discussion on rating decisions, and

(ii) the Credit Rating Agency makes a disclosure in the rating announcement of such associate (about the existence of common independent director) on its Board or of its rating committee, and that the common independent director did not participate in the rating process or in the meeting of its Board of Directors or in the meeting of the rating committee, when the securities rating of such associate was discussed.

Explanation: - (1) For the purposes of this sub-regulation the expression 'independent director' means a director who, apart from receiving remuneration as a director, does not have any other material pecuniary relationship or transactions with the company, its promoters, its management

or its subsidiaries, which in the judgment of the board of the company, may affect the independence of the judgment of such director."

[F. No. SEBI/LGL/3805/2003]

G. N. BAJPAI, Chairman

Foot Note :

The principal regulations, SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547(E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.

SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on –

(a) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in the Official Gazette vide S.O no. 278(E).

(b) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O no. 476 (E).

(c) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations,2002 vide S.O. No.1045(E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.